न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 95/2008/223 आर टी ए

1. प्रयागचन्द पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारोवाली ढाणी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. माडूराम पुत्र जगमाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
2. पेमाराम पुत्र जगमाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
3. साहबराम पुत्र जगमाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
4. कृष्ण पुत्र जगमाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
5. रामचन्द पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार निवासी हरदास वाली ढाणी तहसील रावतसर।
6. मनफूलराम पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार निवासी हरदास वाली ढाणी तहसील रावतसर।
7. बृजलाल पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार निवासी हरदास वाली ढाणी तहसील रावतसर।
8. भंवरलाल पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार निवासी हरदास वाली ढाणी तहसील रावतसर।
9. मोहनलाल पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार निवासी हरदास वाली ढाणी तहसील रावतसर।
10. सुभाष वल्द सावित्री जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर नाबालिग जरिये सगा मामा व संरक्षक मनफूल पुत्र हरखाराम।
11. सोहन पुत्र लिखमा जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
12. बीरबलराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
13. मेघाराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
14. आसाराम पुत्र नारायण जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
15. अमरसिंह पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
16. शंकरलाल पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
17. मोहनलाल पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
18. ठाकरू पुत्र उदाराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर (फौत)।

18/1 हीरादेवी पत्नि ठाकरू जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।

18/2 कान्हाराम पुत्र ठाकरू जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।

18/3 मंगतूराम पुत्र ठाकरू जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।

18/4 भंवरीदेवी पुत्री ठाकरू पत्नि काशीराम जाति कुम्हार निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
18/5 जमना देवी पुत्री ठाकरू पत्नि सुल्तान जाति कुम्हार निवासी बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
19. मनीराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
20. भोमाराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
21. मुखराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी कुम्हारावाली ढाणी तहसील रावतसर।
22. जयनारायण माता मामकौरी पुत्री शेराराम जाति कुम्हार निवासी 2 केबीएम तहसील जिला हनुमानगढ़।
23. बंशीलाल माता मामकौरी पुत्री शेराराम जाति कुम्हार निवासी 2 केबीएम तहसील जिला हनुमानगढ़।
24. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

——रेस्पोडैन्टस/प्रतिवादीगण

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2008 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण सं. 20/07 अनवानी माडूराम आदि बनाम मनीराम आदि

उपस्थित :–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलांट

श्री मदनसिंह चोटिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1,5,8,11,14

श्री विनोद कुमार सैनी अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2,3,6,7,9,10,13,15,16,17

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 24

निर्णय दिनांकः–09.01.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि का बाहमी बंटवारा के आधार पर विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये वादपत्र डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन के वाद प्रारम्भ मे प्राथमिक डिक्री कानून बनाई जानी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री पारित न कर व बिना तहसील से विभाजन के प्रस्ताव मंगवाए अंतिम डिक्री पारित कर दी है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। डिक्री मे पक्षकारान को दी गयी अलग अलग भूमि के लिये न तो कोई

रास्ते की भूमि निर्धारित की और न खाला की भूमि सार्वजनिक खाता मे से कम कर शेष भूमि का विभाजन किया और न अधीनस्थ न्यायालय ने एक किला नं. की भूमि का विभाजन करने मे किस पक्षकार को कौनसी व किस तरफ की भूमि दी जाने का विवरण दिया और विवाद कायम रख दिया है। इस प्रकार विभाजन की डिक्री कतई अपूर्ण व अस्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पो0 सं. 19 ता 23 को चक 2 केबीएम के प.न. 133/401 के कि.न. 4 व 5 की 2 बीघा व प.न. 134/401 कि.न. 1 की 1 बीघा भूमि दी है परन्तु इन कि.न. 4, 5 व 1 मे 2–2 बिस्वा बंजड शुदा खाल जाता है और इन किलो मे 2–2 बिस्वा भूमि कम हो गयी उक्त कम हुई भूमि के बदले मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 19 ता 23 को कोई भूमि नही दी है।

4. पक्षकारान मे यह तय हो गया था कि उक्त किलाजात अपीलांट व रेस्पो. सं. 19 ता 23 को मिलने पर खाल मे आई 2–2 बिस्वा भूमि के बदले किला 4 व 5 से चिपते किला नं. 6 व 7 जो शंकरलाल व मोहनलाल वादीगण रेस्पो0 को मिले है व किला नं. 1 से चिपता कि.न. 10 जो अमरसिंह वादगण रेस्पो0 को मिला है मे से 2–2 बिस्वा भूमि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 19 ता 23 को चिपती भूमि दी जानी है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर नही किया। अपीलांट व रेस्पो0सं. 19 ता 23 को दी गई भूमि मे प्रवेश हेतु डिक्री विभाजन मे रास्ता नही दिलवाया गया है। रेस्पो0 सं. 22 व 23 ने विवादित भूमि मे अपने हिस्से की दस्तबरदारी अपीलांट व रेस्पो0 सं. 19 ता 21 के हक मे दिनांक 23.03.07 को निष्पादित कर उसी रोज पंजीबद्ध करवा दी थी और इस भूमि मे उनका कोई हिस्सा नही था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर गौर न कर अपीलांट व रेस्पो0 सं. 19 ता 21 के साथ रेस्पो0 सं. 22 व 23 को हिस्सा दिलवाने मे अहम भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि रेस्पो0 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे हुए बाहमी बंटवारा के

आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर घोषणा व खाता तकसीम बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अपीलांट द्वारा उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध बिना किसी आधार के अपील प्रस्तुत की गई जो सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाहमी बंटवारानामा के आधार पर पारित की गई जिसमे रास्ता आदि की सुविधा बंटवारानामा के अनुसार है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विचारण न्यायालय ने ना तो खाता तकसीम के वाद मे विधिनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है और ना ही खाता तकसीम करने से पूर्व पक्षकारान को रास्ता एवं खाला आदि की सुविधा दी गई। अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये रिकार्ड मे दर्ज हिस्से कम ज्यादा रकबा का विभाजन मे देते हुये विभाजन का दावा डिक्री किया गया है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे पक्षकारान की सहमति/राजीनामा नही होने पर वाद प्राथमिक किया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2008 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 12.02.2018 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ